

# बाढ़ में होने वाले नुकसान पर सरकारी सहायता

| नुकसान  | सरकार द्वारा सहायता   | कहाँ सम्पर्क करें   |
|---|---|---|
| मरने वाले के परिवार को सहायता राशि  | रु. 1 लाख प्रति मृतक  | तहसीलदार, उपज़िलाधिकारी, कार्यालय / तहसील स्तर पर         |
| शरीर का कोई अंग बेकार हो जाने पर सहायता राशि  | रु. 35,000/- प्रति व्यक्ति से<br>रु. 50,000/- प्रति व्यक्ति (अंग बेकार हो जाने की वजह से होने वाली शारीरिक असमर्थता पर निर्भर)  | तहसीलदार, उपज़िलाधिकारी एवं ज़िलाधिकारी कार्यालय          |
| गम्भीर चोट लगने पर सहायता राशि  | रु.7500/- (अगर चोट के कारण 1 हफ्ते से ज़्यादा समय के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़े) रु. 2500/- (अगर चोट के कारण 1 हफ्ते से कम समय के लिये अस्पताल में भर्ती रहे हो) | तहसीलदार, उपज़िलाधिकारी एवं ज़िलाधिकारी कार्यालय          |
| बूढ़े और अक्षम लोगों को सहायता राशि   | रु. 20/- रोज  | तहसीलदार, उपज़िलाधिकारी एवं ज़िलाधिकारी कार्यालय          |
| निराश्रित/बेसहारा बच्चों को सहायता  | रु. 15/- रोज  | तहसीलदार, उपज़िलाधिकारी एवं ज़िलाधिकारी कार्यालय          |
| घर बह जाने/पूरी तरह टूट-फूट जाने या एक हफ्ते से ज़्यादा समय तक पानी में डूबे रहने पर कपड़े, बर्तन या घरेलू सामान के लिए सहायता राशि | रु. 1000/- प्रति परिवार (कपड़ों के नुकसान पर), रु. 1000/- प्रति परिवार (बर्तन और घरेलू सामान के नुकसान पर)  | तहसीलदार, उपज़िलाधिकारी एवं ज़िलाधिकारी कार्यालय          |
| जमा की हुई खाद्य सामग्री नष्ट हो जाने पर या खाने की कोई सामग्री न होने पर बाढ़ के बाद मिलने वाली सहायता राशि                        | रु. 20/-प्रति व्यक्ति(18 साल से ऊपर के लिए) 15 दिन तक, रु. 15/- प्रति व्यक्ति 18 साल से कम के लिये) 15 दिन  | तहसील प्रशासन(ये सहायता केवल वस्तु के रूप में दी जाती है) |
| पक्का मकान पूरी तरह नष्ट हो जाने पर सहायता राशि   | रु. 25,000/- प्रति मकान   | तहसील प्रशासन   |
| कच्चा मकान पूरी तरह नष्ट हो जाने पर सहायता राशि   | रु. 10,000/- प्रति मकान   | लेखपाल, तहसीलदार, उपज़िलाधिकारी                           |
| पक्के मकान में गंभीर या बहुत ज़्यादा टूट-फूट होने पर सहायता राशि  | रु. 5000/- प्रति मकान   | लेखपाल, तहसीलदार, उपज़िलाधिकारी                           |

|  |                         |                                 |
|--|-------------------------|---------------------------------|
| कच्चे मकान में गम्भीर या बहुत ज़्यादा टूट-फूट होने पर सहायता राशि                | रु. 25000/- प्रति मकान  | लेखपाल, तहसीलदार, उपज़िलाधिकारी |
| कच्चे या पक्के मकान में आंशिक/ थोड़ी (15 प्रतिशत तक) टूट-फूट होने पर सहायता राशि | रु. 1500/- प्रति मकान   | लेखपाल, तहसीलदार, उपज़िलाधिकारी |
| झोपड़ी टूटने पर सहायता राशि  | रु. 2000/- प्रति झोपड़ी | लेखपाल, तहसीलदार, उपज़िलाधिकारी |

### छोटे किसानों की सहायता के लिए

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| i) खेती योग्य जमीन पर जमा रेत/ गाद हटाने के लिये सहायता राशि                                  | रु. 6000/- प्रति हेक्टेयर   | राजस्व विभाग |
| ii) मत्स्य (मछली) फार्म से रेत/गाद हटाने, इसकी मरम्मत करने या दोबारा बनाने के लिए सहायता राशि | रु. 6000/- प्रति हेक्टेयर   | राजस्व विभाग |
| iii) कृषि निवेश अनुदान जहाँ पर फसल का नुकसान 50 प्रतिशत या इससे अधिक हुआ हो                   |   | राजस्व विभाग |
| (क) कृषि, फसलों, बागवानी फसलों, वार्षिक वृक्षरोपण फसलों के लिए                                | रु. 2000/- प्रति हेक्टेयर वर्षा असिंचित क्षेत्र में, रु. 4000/- प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में | राजस्व विभाग |
| (ख) बारहमासी फसलें  | रु. 6000/- प्रति हेक्टेयर   | राजस्व विभाग |

### पशु पालन

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
| iv) दुधारू, कृषि, बोझ ढोने वाले पशुओं का नुकसान होने पर सहायता राशि | रु. 10,000/- भैंस, गाय, ऊँट आदि लिये) रु. 1,000/- (भेड़ या बकरी के लिये) | राजस्व विभाग / स्थानीय प्रशासन |
| v) पशु कैम्पों में चारा/खाने का प्राविधान                           | प्रतिदिन रु. 20/- (बड़े पशुओं के लिये) रु. 10/- (छोटे पशुओं के लिये)     | स्थानीय प्रशासन                |

स्रोत : राहत आयुक्त संगठन एवं जी.ओ.आई. - यू.एन.डी.पी. आपदा प्रबंधन कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित पुस्तिका